

of # 001263  
SIL 00414-2021

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE EXEMPTION ON VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL PASSPORTS**

The Government of the Dominican Republic and the Government of the Republic of India, hereinafter referred to as "the parties".

CONSIDERING the Interest of both countries to strengthen their friendly relations; and

DESIRING to facilitate the entry of citizen of the Republic of India and people of the Dominican Republic holding diplomatic and official passports in their respective countries.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**ARTICLE 1**

1. A citizen of either Contracting party, which is the bearer of a valid diplomatic or official passport, will be allowed to enter, leave and transit through the territory of the other Contracting Party through its international points of entry / exit without visa.
2. A citizen of either Contracting Party, who carries the passport mentioned in sub-paragraph 1 of this Article, will be allowed to remain in the territory of the other Contracting party for a maximum period of ninety (90) days in any period of 180 days, without a visa.

**ARTICLE 2**

1. A citizen of either contracting party, to be appointed as a member of the diplomatic or consular staff in the territory of the other Contracting Party and carrying a valid diplomatic or official passports, shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the other Contracting Party.
2. A citizen of contracting party to represent his country in an international organization based in the territory of the other Contracting Party and is a carrier of such a passport shall be required to obtain a visa as mentioned in paragraph 1 of this article.
3. The conditions listed in paragraph 1 and 2 of this Article shall also apply to the spouse of member of the diplomatic or consular mission or an international organization representative, their children and dependent parents.

**ARTICLE 3**

1. A citizen of either Contracting party, which is the bearer of a valid diplomatic or official passports and have to attend a meeting or conference convened by an international organization or government, in the territory of the other Contracting party shall not require a visa to enter and stay in the territory of the other Contracting party for the period mentioned in line with Article 1 of this agreement.



2. The holders of diplomatic and official passports of either Contracting party who are employed by an organization, organ, agency or other entity require a visa prior to their entry into the territory of the other Contracting Party for official or private visits.

#### **ARTICLE 4**

1. Each Contracting Party reserves the right to deny entry, or shorten the stay in their territory, of any citizen of the other Contracting party, it may consider undesirable.
2. If a citizen of one contracting party loses his passport in the territory of the other Contracting Party, he / she must report to the authorities concerned in the host country for appropriate action. The Diplomatic Mission or Consular concerned shall issue a new passport or travel document for citizens and inform the authorities concerned of the host country.

#### **ARTICLE 5**

1. Citizen of either Contracting Party who are holders of diplomatic or official passports shall respect the laws and regulations of the other Contracting party while crossing the border and throughout the duration of their stay in the territory.
2. Nothing in the Agreement shall be construed as affecting the rights and obligations set out in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April, 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April, 1963.

#### **ARTICLE 6**

1. For the purposes of this Agreement, each contracting party shall transmit to the other, through diplomatic channels, samples of their passports, including a detailed description of such documents currently in use, at least thirty (30) days prior the entry into force of this Agreement.
2. Each Contracting Party shall also transmit to the other through diplomatic channels, specimens/samples of their new or modified passports, including a detailed description of these documents for at least thirty (30) days before its entry into force.

#### **ARTICLE 7**

Each Contracting Party reserves the right for reasons of security, public order or public health, temporarily suspend in whole or in part, the execution of this Agreement, which shall take effect immediately after the notice will be given to the other Contracting party through diplomatic channels.

#### **ARTICLE 8**

Any Contracting Party may request in writing, through diplomatic channels, a revision or complete or modification of this Agreement. Any revision or amendment has been agreed by the Contracting Parties shall enter into force



on the date mutually agreed and therefore will be a complementary part of this Agreement.

**ARTICLE 9**

Any difference or dispute arising out of the execution of the Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Contracting parties.

**ARTICLE 10**

The Agreement shall enter into force on the date mutually agreed by the Contracting parties, which shall be notified through the exchange of diplomatic notes. This Agreement shall remain in force for an indefinite period and may be terminated by either Contracting Party through notification by diplomatic means, and the same shall take effect ninety (90) days after the date of such notification.

In witness where of the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this agreement.

Done the day twenty-six (26<sup>th</sup>) of August of the year two thousand nineteen (2019) in two (2) originals in the Spanish, Hindi and English languages, all being equally authentic. In case of a disagreement in the interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of the  
Dominican Republic**

**Miguel Vargas**  
Minister of Foreign Affairs

**For the Government of the  
Republic of India**

**V. Muraleedharan**  
Minister of State for External Affairs



भारत गणराज्य की सरकार और डोमिनिकन गणराज्य की सरकार के बीच राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट के संबंध में करार

भारत गणराज्य की सरकार और डोमिनिकन गणराज्य की सरकार, जिनका यहां इससे दोनों "पक्षकारों" के रूप में उल्लेख किया गया है,

दोनों देशों की अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा को देखते हुए; और

भारत गणराज्य की सरकार और डोमिनिकन गणराज्य की सरकार के राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्टधारक नागरिकों के एक-दूसरे के देश में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं:

### अनुच्छेद 1

1. किसी भी संविदाकारी पक्षकार के वैध राजनयिक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट धारक नागरिक को अन्य संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवेश/निकासी स्थानों के माध्यम से बिना वीजा के प्रवेश करने, प्रस्थान करने और पारगमन करने की अनुमति होगी।
2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार के नागरिक, जिनके पास इस अनुच्छेद के उप-पैरा 1 में उल्लिखित पासपोर्ट हो, को अन्य संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में बिना वीजा के 180 दिनों की किसी भी अवधि में अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों तक प्रवास की अनुमति होगी।



## अनुच्छेद 2

1. संविदाकारी पक्षकार के किसी भी नागरिक, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भूक्षेत्र में राजनयिक या कौंसुली स्टाफ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हो और जिसके पास वैध राजनयिक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट हो उसे दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में प्रवेश से पहले वीजा प्राप्त करना होगा।
2. संविदाकारी पक्षकार के किसी नागरिक जिसे दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भूक्षेत्र में स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हो और जिसके पास ऐसा पासपोर्ट हो, को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में प्रवेश से पहले इस अनुच्छेद के पैरा -1 में यथोल्लिखित वीजा प्राप्त करना होगा।
3. इस अनुच्छेद के पैरा-1 और पैरा-2 में उल्लिखित शर्तें राजनयिक अथवा कौंसुली मिशन के सदस्य के अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि के पति/पत्नी, उनके बच्चों तथा आश्रित माता-पिता पर भी लागू होंगी।

## अनुच्छेद 3

1. किसी भी पक्षकार राष्ट्र का कोई नागरिक जिसके पास वैध राजनयिक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट हो और जिसे दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या सरकार द्वारा आयोजित किसी बैठक या सम्मेलन में भाग लेना हो, के लिए इस करार के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अवधि के लिए दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में प्रवेश और प्रवास करने के लिए वीजा प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।



2. दोनों में से किसी भी पक्षकार के राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्टधारक जिन्हें किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन, संस्था, एजेंसी अथवा इस प्रकार के किसी अन्य संगठन द्वारा नियोजित किया गया हो, के लिए संविदाकारी पक्षकार के भूक्षेत्र में आधिकारिक अथवा निजी यात्राओं के लिए प्रवेश करने से पूर्व वीजा प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

#### अनुच्छेद 4

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के पास दूसरे संविदाकारी पक्षकार के ऐसे नागरिक को प्रवेश देने से इंकार करने अथवा अपने भू-क्षेत्र में प्रवास की अवधि कम करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा जिसे वह अवांछित व्यक्ति मानता हो।

2. यदि दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्षकार का कोई नागरिक दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में अपना पासपोर्ट खो देता है, तो वह यथोचित कार्रवाई हेतु मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा। संबंधित राजनयिक मिशन अथवा कौंसुलावास अपने नागरिकों को एक नया पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करेगा और मेजबान सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को इसकी सूचना देगा।

#### अनुच्छेद 5

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार का नागरिक, जिसके पास राजनयिक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट हो, दूसरे संविदाकारी पक्षकार की सीमा पार करते समय और उसके भू-क्षेत्र में प्रवास की संपूर्ण अवधि के दौरान उस राष्ट्र के कानूनों एवं विनियमों का पालन करेगा।



2. इस करार में उल्लिखित किसी भी शर्त को राजनयिक संबंध विषयक 18 अप्रैल, 1961 के वियना अभिसमय अथवा कौंसुली संबंध विषयक 24 अप्रैल, 1963 के वियना अभिसमय में निर्धारित अधिकारों एवं दायित्वों को प्रभावित करने वाली शर्त नहीं समझा जाएगा।

#### अनुच्छेद 6

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इस करार के लागू होने के कम-से-कम तीस (30) दिनों के भीतर राजनयिक माध्यमों से वर्तमान में प्रयुक्त अपने पासपोर्टों की नमूना प्रतियां और ऐसे दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा प्रेषित करेगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने नए अथवा परिवर्तित पासपोर्टों के प्रतिरूप/नमूने और ऐसे दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा इन्हें जारी किए जाने से कम से कम तीस (30) दिन पहले दूसरे संविदाकारी पक्षकार को राजनयिक माध्यमों से प्रेषित करेगा।

#### अनुच्छेद 7

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को सुरक्षा, लोक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर इस करार के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से पूर्णतः अथवा अंशतः निलंबित करने का अधिकार है और यह राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इसके लागू होने के बारे में नोटिस दिए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।



### अनुच्छेद 8

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार राजनयिक माध्यमों से इस करार में परिशोधन या पूर्णतः परिवर्तन करने के बाबत लिखित में अनुरोध कर सकता है। ऐसा कोई भी परिशोधन या संशोधन जिन पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति हुई हो, पारस्परिक सहमति की तारीख से लागू होगा तथा तदनुसार यह इस करार का अंग होगा।

### अनुच्छेद 9

इस करार के क्रियान्वयन के क्रम में उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद अथवा विवाद का निपटारा दोनों संविदाकारी पक्षकारों के बीच सौहार्द्रपूर्ण ढंग से परामर्श अथवा बातचीत के जरिए किया जाएगा।

### अनुच्छेद 10

यह करार दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा परस्पर सम्मत तारीख से लागू होगा जिसे दोनों पक्षकारों द्वारा राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यह करार अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा और कोई भी संविदाकारी पक्षकार राजनयिक माध्यम से अधिसूचना जारी करके इसे निरस्त कर सकता है और यह निरसन ऐसी अधिसूचना जारी करने की तारीख से नब्बे (90) दिनों के बाद लागू हो जाएगा।




इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।


2019 के अगस्त माह के 26 वें दिन स्पेनिश, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

डामिनिकन गणराज्य  
की सरकार की ओर से

.....  
  
वी. मुरलीधरन

विदेश राज्यमंत्री

.....  
  
मिगुएल ओ. वर्गास माल्डोनाडो

विदेशी मंत्री

